



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी भान सिंह पुत्र श्रीमान सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-09.02.2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी भान सिंह पुत्र श्रीमान सिंह (दिनांक 20.12.2025 तक आयु 78 वर्ष 12 दिन हैं), पतारा, थाना-कुरारा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 26.01.1997 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक व राइफल से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-145/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं०-02, हमीरपुर के आदेश दिनांक 15.07.2002 द्वारा बरी किया गया, परन्तु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.04.2019 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 307/149 के अन्तर्गत आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04.11.2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बन्दी का अपराध पूरे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखा जाना न्यायोचित होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2025 तक अपरिहार 11 वर्ष, 08 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 10 माह की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 20.12.2025 तक अपरिहार 11 वर्ष, 08 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 10 माह की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा 05 व्यक्तियों की हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किए जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी भान सिंह (बन्दी संख्या-1092/2024) पुत्र श्रीमान सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
- 4- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।